क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

B.C.C.A. Case No.- 105 /2020 राज्य बनाम श्री सुनील कुमार उर्फ पिन्टु

-: आदेश :-

30.10.2020

यह कार्यवाही बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के तहत की जा रही है। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ने अपने पत्रांक-780/सी.आर. दिनांक 21.10.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि श्री सुनील कुमार उर्फ पिन्टु पे0 श्री रामदेव दास, सा0 बिहारीगंज, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा एक सक्रिय एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला अपराधकर्मी है। इनके विरूद्ध मधेपुरा जिला के बिहारीगंज थाना में कांड दर्ज है तथा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। आसन्न बिहार विधान सभा आम चुनाव 2020 में किसी एक पार्टी की ओर से मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए डरा-धमका रहे हैं, जिससे क्षेत्र में विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था भंग होने की पूरी संभावना है। ऐसी परिस्थिति में क्षेत्र में लोकहित एवं जनहित में विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु इनके विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत निरूद्ध करने पर बल दिया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार इनका आपराधिक इतिहास निम्नवत है:- (1) बिहारीगंज थाना कांड सं0-173/16, दि. 13.10.16, धारा-147/148/149/341/323/337/332/333/353/427/156/295/295ए. भा.द.वि.।

प्रतिपक्षी का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि वे नोटिस स्वयं प्राप्त किया है। राज्य के पक्षकार विद्व अपर लोक अभियोजक के द्वारा बताया गया कि प्रतिपक्षी के विरूद्ध प्रतिवेदित कांड गंभीर प्रकृति के है। बिहारीगंज में साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने में भाग लिये हैं, जिस कारण उनके विरूद्ध उपरोक्त मामला दर्ज हुआ है। सम्प्रति मामला विद्व आपराधिक न्यायालय में विचाराधीन है। नोटिस प्राप्ति उपरान्त पक्ष रखने हेतु उन्हें उचित अवसर प्रदान किया गया, परन्तु किसी भी निर्धारित तिथि में उपस्थित होकर अपना पक्ष नही रखे हैं, जो उनके मनमानेपन को दर्शाता है।ऐसा प्रतीत होता है कि वे आरोप को निराधार साबित करने के इच्छुक नही है। पुलिस प्रतिवेदन से जाहिर होता है प्रतिपक्षी का व्यवहार सामाजिक परम्पराओं के विरूद्ध एवं मनबढ़ु स्वभाव के व्यक्ति हैं। इसी गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते आगामी चुनाव में विधि-व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। इनके आचरण को देखते हुए चुनाव के दौरान मतदाताओं में भय व्याप्त होना स्वभाविक है। इन्हें प्रतिबंधित किया जाना जरूरी है, ताकि मतदान में कमजोर वर्गो के मतदाताओं को कोई कठिनाई नही उठाना पड़े। इन्हें केवल मतदान के दिन कुछ शर्तो के साथ मतदान करने हेतु छूट दी जा सकती है।

राज्य का पक्ष सुनने के बाद प्रतिपक्षी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-2(डी)(1) के अन्तर्गत ये ''असामाजिक तत्व'' हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य से आम जनता में भय व्याप्त है, जिससे आमजन के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये खतरनाक है। आरोप की प्रकृति एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसा विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं लोकहित में नितांत आवश्यक है। अतः उल्लेखित तथ्यों के आधार पर श्री सुनील कुमार उर्फ पिन्टु पे0 श्री रामदेव दास, सा0 बिहारीगंज, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-3 की उपधारा-3 के अन्तर्गत 71-बिहारीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक अनुमंडल मधेपुरा अन्तर्गत परमानन्दपुर ओ0पी0 में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति की तिथि से मधेपुरा जिला के परमानन्दपुर ओ0पी0 में सदेह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 10:00 बजे पूर्वा0 से 12:00 अप0 के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करायेंगे। दिनांक 07-11-2020 को अपने मत का प्रयोग करना चाहे, तो उन्हें लिखित सूचना परमानन्दपुर ओ0पी0 में, मतदान केन्द्र पर पहुँचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण ब्यौरा समर्पित करेंगे, तत्पश्चात् थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे। ओ0पी0 प्रभारी, परमानन्दपुर को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में इसके लिए एक उपस्थिति पंजी संधारित करेंगे और श्री सुनील कुमार उर्फ पिन्टु पे0 श्री रामदेव दास, सा0 बिहारीगंज, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा का नाम अंकित कर प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करायेंगे। इसका साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को निरन्तर भेजना सुनिश्चित करेंगे। दोनों थानाध्यक्षों को यह भी निदेश दिया जाता है कि प्रतिपक्षी पर पैनापन नजर रखेंगे। किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर उनके विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को भेजें। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी संबंधित थानाध्यक्षों को निदेशित करेंगे।

आदेश की प्रति प्रतिपक्षी को तामिला कराने थानाध्यक्ष, बिहारीगंज एवं आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु ओ0पी0 प्रभारी, परमानन्दपुर को भेजें।

आदेश की प्रति जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को भी आम जनता में प्रचार-प्रसार हेतु भेजें एवं एक प्रति मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु भेजें।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

डी0बी0नं0 888 /न्या0, दिनांक 30/10/2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, बिहारीगंज/ ओ0पी0 प्रभारी, परमानन्दपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री सुनील कुमार उर्फ पिन्टु पे0 श्री रामदेव दास, सा0 बिहारीगंज, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

30/10

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।